श्रम कानूनों को बदलने की तैयारी ?

यानि भारत में सुरक्षात्मक श्रम कानूनों के खात्मे की शुरुआत

रवीन्द्र गोयल

1990 में नई आर्थिक नीति के समय से ही धन्ना सेठों की सरकार से दो प्रमुख मांगें रही हैं. एक तो बेरोकटोक सरकारी सरंक्षण में औने पौने दामों में भूमि अधिग्रहण की सुविधा और दूसरें अपनी मर्जी के हिसाब से मनचाही मजदूरी पर कामगारों को बहाल करने का हक तथा बिना रोक टोक के जब जी चाहे मजदूरों को निकालने का अधिकार. थैलीशाहों की भाषा में कहें तो मनमरजी से मजदूरों को भरती करने और निकलने का अधिकार. उदारीकरण के दौर में वो फिर से मजदूरों को 18वीं- 19वीं सदी के हालात में, यानि 200 साल पीछे धकेलना चाहते हैं जब न तो काम के कोई घंटे तय थे और न शोषण उत्पीड़न की कोई सीमा ही थी।

इस सरकार से पहले की कांग्रेस सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मामले में एक हद तक मुस्तैदी दिखाई थी पर व्यापक विरोध के चलते कांग्रेस सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को थोडा सख्त किया था। श्रम कानूनों को बदलने की दिशा में पहले की सरकारें बात तो करती रही थी, हड़तालों को बेरहमी से कुचलती रही थी लेकिन श्रम कानूनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं कर पायी थी।

इन दो अधूरे कामों को तेजी से पूरा करने की उम्मीद धन्ना सेठों को मोदी सरकार से थी. 2014 में चुने जाने के बाद ही भूमि अधिग्रहण के कानून को पुन: ढीला करने के लिए पहल की गयी और मार्च 2015 में लोक सभा में नया कानून पास भी हो गया लेकिन राज्य सभा में उचित बहुमत न होने के चलते वो अब तक पास नहीं हो पाया है। इस साल सरकार ने श्रम कानूनों के बदलाव सम्बन्धी अपने मंसूबों का आगाज किया है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है की असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों के लिए श्रम कानून पहले ही बेमानी हो चुके है। इस नए उद्घोष का निशाना संगठित क्षेत्र के मजदूर ही हैं। इस साल, फरवरी 17, के बजट में ही वित्तमंत्री साहब ने घोषणा कर दी थी कि वो देश के श्रम कानूनों को समयानुकूल बनाने के उद्देश्य से और सरकार के ' भारत में बनाओ' (रूड्डद्मद्ग द्बठ्ठ ढ्ढठ्ठस्रद्बड्ड) मुहिम को तेज करने के लिए भारत के 38 श्रम कानूनों को बदल कर 4 कोड बनाएगी. ये 4 कोड मजदूरी, औद्योगिक सम्बंधों, सामाजिक एवं कार्य सम्बन्धी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्तिथियों के बारे में नए नियम बनायेंगे. अभी हाल में ही ढ्ढरूस्न ने भी इस बात के महत्व पर मोहर लगाते हुए कहा है की श्रम कानूनों में सुधार पूँजी निवेश और रोजगार वृद्धि के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार ने उपरोक्त मंसूबों को अंजाम देने के लिहाज से 10 अगस्त 2017 को लोकसभा मजदूरी सम्बन्धी पहला कोड पेश किया है यह कोड चार पुराने श्रम सम्बन्धी कानूनों-मजदूरी भुगतान कानून 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, बोनस भुगतान कानून 1965 तथा सामान मेहनताना कानून 1976- के स्थान पर पेश किया गया है..इस कोड के कानून बनते ही उपरोक्त चारों कानून निरस्त हो जायेंगे। इस कोड में पुराने कानूनों के मुकाबले कई छोटे मोटे मजदूर विरोधी परिवर्तन के साथ साथ 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं.सर्वप्रथम इस कोड में नियोक्ता मालिक (employer) की परिभाषा को बदल दिया गया है.जहाँ पहले न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में नियोक्ताङ्क वो व्यक्ति था जो किसी अन्य व्यक्ति को सीधे या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से काम पर रखता है, वहीं वर्तमान कोड में नियोक्ता की परिभाषा को सीमित कर के उस व्यक्ति तक केन्द्रित कर दिया गया है जो एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को अपने संस्थान में काम पर रखता है। पुराने कानून में एक मुख्य नियोक्ता की धारणा अन्तर्निहित थी और उसके तहत मुख्य नियोक्ता की दूसरे व्यक्ति के माध्यम से काम पर रखे गए व्यक्तियों के प्रति भी कुछ जिम्मेवारियां बनती थी। नयी परिभाषा ठेका मजदूरों के प्रति मुख्य नियोक्ता को सभी जिम्मेवारियों से बरी करता है। आज जब ठेका प्रथा का उद्योगों में व्यापक इस्तेमाल हो रहा है ऐसे में मुख्य नियोक्ता को ठेका मजदूरों के प्रति सभी जिम्मेवारियों से मुक्त करना ठेकेदारी प्रथा को और तेज करेगा तथा बढती बेरोजगारी के समय में कामगारों के शोषण में वृद्धि करेगा। दूसरे, देश के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी तय करने के आश्वासन के नाम पर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में सूचीबद्ध उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की जिम्मेवारी खत्म कर दी है। यह सर्व स्वीकृत तथ्य है की सूचीबद्ध उद्योगों में अन्य कामों के मुकाबले मजदूरी ऊंची होती है। यानि की इस परिवर्तन के चलते लगभग 50 सूचीबद्ध उद्योग समूहों में अब कोई न्यूनतम मजदूरी की बाध्यता नहीं रहेगी और क्षेत्रवार मजदूरी के स्तर से मजदूरी तय करने की ही कानूनी जरूरत होगी। ये दीगर बात है की जमीनी स्तर पर मजदूरी का तर्क दूसरा ही होता है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात और ध्यान देनी चाहिए की पिछले कुछ दिनों से सातवें वेतन आयोग के सम्बन्ध में 18000 रुपये की निम्नतम मजदूरी की बात चल रही है. इस चर्चा के सम्बन्ध में जब उद्योगपतियों ने चिल्ल पों शुरू कि की कहीं यह उद्योगों पर तो लागू नहीं होगा तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है की उसका उद्योगों के लिए ऐसा कोई इरादा नहीं है.

तीसरे श्रम कानूनों के पालन को निश्चित करने के लिए पहले ही इंस्पेक्टर व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है. अब ये काम Facilitators द्वारा किया जायेगा जिनके अधिकार इंस्पेक्टर्स के मुकाबले काफी कम होंगे। वो औचक निरिक्षण न करके केवल पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत ही निरिक्षण कर पायेंगे। उन्हें दस्तावेज आदि का निरक्षण और उन्हें हस्तगत करने का अधिकार तो है लेकिन वो कोई भी कार्यवाही अपने ऊपर के अफसरों की इजाजत के बिना नहीं कर पायेंगे। और अंतिम बात कोड यह निर्धारित करता है की यदि किसी उद्योग के खाते का ऑडिट हो चूका है तो बोनस के बारे में जारी वार्ता में उनके बारे में कोई सवाल मान्य नहीं होंगे. भारत में ऑडिट के मानकों को देखते हुए मालिक कोई भी खाते बोनस वार्तओं में पेश कर सकेंगे और उनपर सवाल का हक रद्द करके मजदूरों को वार्ता में प्रभावहीन बना दिया जायेगा। यह था प्रस्तावित 4 कोड में से लोकसभा में पेश किये गए मजदूरी सम्बन्धी कोड का विश्लेषण। शेष 3 कोड का प्रारूप अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन सितम्बर माह में अग्रणी मजदूर संगठनो को प्रस्तावित औद्योगिक सम्बंध कोड के 5 मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था. ये मुद्दे थे।

- वरिष्ठ और कुशल मजदूरों के एक हिस्से को सुपरवाइजर या मेनेजर मनोनीत करने का सुझा। यह कामगारों में सुपरवाइजर और वर्कर्स में बंटवारा कर देता। इस के नतीजे के फलस्वरूप सुपरवाइजर ट्रेड यूनियन बनाने के हक से वंचित हो जायेंगे। यह मजदूरों में फूट डाल कर उनकी यूनियन को कमजोर करने की साजिश का अंग है। - ट्रेड यूनियन के नेतृत्व पद पर बाहरी पदाधिकारियों पर रोक.संगठित क्षेत्र के उद्योगों की यूनियन में तो बाहरी पदाधिकारी हो ही नहीं सकेंगे और असंगठित क्षेत्र की यूनियन में केवल दो पदाधिकारी ही बाहरी हो सकेंगे. यह स्वाभाविक तौर पर मजदूर यूनियन को कमजोर करेगा.क्योंकि वो कुशल बाहरी सहयोगियों की मदद नहीं ले सकेंगे.
- यूनियन की मान्यता की शर्त को किसी संस्था में कार्यरत 50 फीसदी कर्मचारी सदस्यों के समर्थन पर आधारित करना. जिस देश में सरकारों को 50 फीसदी जनता का वोट न मिला हो वहां ऐसी शर्त बदनीयती से ही पैदा हो सकती है.
- अभी 100 से ऊपर मजदूर वाले उद्योग बिना सरकारी अनुमति के मजदूरों को निकाल नहीं सकते , तालाबंदी नहीं कर सकते या उद्योगिक इकाई को बंद नहीं कर सकते. इस मजदूर सीमा को बढाकर 300 करने का सुझाव है. नतीजतन 300 से कम मजदूर वाले उद्योग बिना किसी रोक टोक या बाधा के मजदूरों को निकाल सकेंगे या तालाबंदी या उद्योगिक इकाई को बंद कर सकेंगे.और सरकार यह नाटक कर सकेगी की यह सब उसकी मरजी के बिना हुआ है. ट्रेड यूनियन सही ही मांग कर रहे हैं की मशीनिकरण और ऑटोमेशन के मद्दे नजर इस कर्मचारी सीमा को बढ़ाने की बजाये 100 से घटा कर 50 किया जाना चाहिए.
- उपरोक्त सुझावों को स्वीकार्य बनाने के लिए एक दीखने में मजदूर हितैषी सुझाव भी दिया गया है कि छंटनी के समय प्रत्येक साल की सेवा के लिए 45 दिन का मुआवजा मजदूर को दिया जाये. वर्तमान में ये मुआवजा प्रत्येक साल की सेवा के लिए 15 दिन है. ऐसा सुझाव बेमानी है क्योंकि ट्रेड यूनियन को कमजोर करने के बाद ऐसे प्रावधान को लागू कौन करवा पायेगा. स्वाभाविक है की सरकार परस्त भारतीय मजदूर संघ को छोड़ सभी मजदूर संगठनों ने इन सुझावों का पुरजोर विरोध किया है.

उपरोक्त प्रस्तावित परिवर्तनों पर गौर करने से इसमें कोई शक नहीं की सामाजिक एवं कार्य सम्बन्धी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्तिथियों के बारे में बनाये जाने वाले अन्य 2 कोड भी मजदूर हकों पर हमला ही करेंगे. अच्छे दिनों''के नारे के साथ सत्ता में आई मोदी-सरकार के राज में संगठित क्षेत्र के मजदूरों की हालत भी बदतर होने वाली है, इस पूरी कवायद के पीछे तर्क है कि इन्' सुधारों''से निवेशऔर रोजगार बढ़ेंगे और देश के करोड़ों मजदूरों की जीवन स्थिति में सकरात्मक परिवर्तन होंगे. पर वास्तविकता में ये परिवर्तन उद्योगपतियों को मजदूर शोषण की खुली छूट देना ही है. इसका मकसद नियोक्ताओं व कॉरपोरेट घरानों को बिना किसी जिम्मेवारी व जवाबदेही के आसानी से अनाप-शनाप अती मुनाफा कमाने के लिए रास्ता खोलना है।

स्वाभाविक तौर पर मजदूर हकों पर इस तुगलकी हमले का विरोध देश भर में हो रहा है.अभी तक ज्ञात? बरों से पता चला है की BJP से सम्बद्ध ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ को छोड़ कर सभी शेष राष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने मिल कर नवम्बर 9-11 के बीच संसद के बहार महापड़ाव (sit in protest) का ऐलान किया है यूँ तो इस संघर्ष में मजदूरों का 12 सूत्री मांग पत्र है लेकिन श्रम कानून में वर्तमान परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लगाना इस संघर्ष की मुख्य मांग है. क्योंकि श्रम कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तनों के कानून बनने का अर्थ होगा भारत में सभी सुरक्षात्मक श्रम कानूनों के खात्मे की शुरुआत. बेशक श्रम कानून का मुद्दा संविधान की समवर्ती सूची का अंग है और इसके तहत कुछ राज्यों ने उपरोक्त सुझाये गए परिवर्तनों में से कुछ परिवर्तन अपने कानूनों में किये भी है पर केंद्रीय सरकार द्वारा इन पर मोहर लगने के बाद तो यह हमला देशव्यापी रूप ले लेगा. इसलिए इस महापड़ाव का समर्थन और इस कार्यक्रम में सक्रिय हिस्सेदारी हर जनपक्षधर व्यक्ति की, संगठन, विचारधारा से इतर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है.

योगी सरकार का छात्रों पर बड़ा हमला

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने पहल बजट में शिक्षा के क्षेत्र में जबर्दस्त कटौती की है। माध्यमिक शिक्षा में पिछले साल के मुकाबले 9414 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है। पिछले साल यह बजट 9990 करोड़ रुपये था जिसे अब 576 करोड़ कर दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा का बजट भी पीछले साल 2742 करोड़ के मुकाबले 272.77 करोड़ कर दिया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2469.73 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है। हां, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जरूर बजट बढाया गया है। इसे 15632 करोड़ से 21499 करोड़ कर दिया गया है। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में कुल 6016 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है।

सत्ता में आने से पहले योगी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी मेधावी युवाओं को लैपटॉप देने का वादा किया था। हालिया बजट में इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लगता है योगी सरकार का ये कदम मोदी सरकार के '15 लाख' की तरह ही चुनावी जुमला था।

अभी हाल में केन्द्र सरकार ने भी यूजीसी के बजट में 55 प्रतिशत तक की कटौती की है। और अब यूपी सरकार द्वारा शिक्षा बजट में कटौती ये दिखाती है कि मोदी-योगी सरकार के लिये छात्रों को शिक्षित करना कोई एजेण्डा नहीं है। सरकार के इस कदम का सबसे अधिक खामियाजा गरीब व पिछड़े समाजों से आने वाले छात्रों को चुकाना पड़ेगा क्योंकि वे ही शिक्षा से बाहर हो जायेंगे। आज जब शिक्षा पर बजट को बढाने की जरूरत है तो ये सरकारें शिक्षा से अपना पल्ला झाड़ रही हैं। यूपी के साथ-साथ देश के प्रत्येक छात्र को इसके खिलाफ़ आवाज उठानी ही चाहिए।

यहां विरोध करना मना है...

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चीफ़ प्राक्टर आर.एस. दूबे ने विश्वविद्यालय में रोक लगाकर छात्र संघ उपाध्यक्ष को एक नोटिस भेजा है। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध न करने का फ़रमान ज़ारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी जी महान विचारधारा के चिंतक, प्रखर वक्ता, पवित्र मंदिर के धर्माचार्य हैं। उनका पुतला दहन करना असंवैधानिक, अवैज्ञानिक, अधार्मिक और विश्वविद्यालय संहिता का उल्लंघन है। यह अपराध है।

जो जनवादी अधिकार हमें संविधान देता है यानी विरोध प्रदर्शन, संगठन, सभा, जुलूस आदि करने का, आज सरकारें उनका अतिक्रमण कर रही हैं। योगी-संघराज में यह काम लगातार जारी है। योगीजी का विरोध करना गलत है तो उनको राजनीति में नहीं आना चाहिये। मंदिर में बैठकर भक्ति करना चाहिये। लोकतंत्र में किसी का विरोध करना अपराध कैसे हो गया?

छात्रों को आज विरोध करने पर रोक लगाने का फ़रमान ज़ारी किया गया है। हो सकता है कि आगे बोलने पर भी रोक लगा दी जाये। फ़ासीवादियों के इन खतरनाक मंसूबों पर एकजुट होकर विरोध करना जरूरी है। विश्वविद्यालय के शिक्षक-कर्मचारियों का एक पार्टी विशेष के पक्ष में बोलना भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

'विकास' ताक रहा है 'स्वच्छ भारत', हाथ में बोतल लेकर 'डिजिटल भारत' के साथ, इंतजार कर रहा है 'बुलेट ट्रेन' के आने का